



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37(01)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-II/2016/2129

जयपुर दिनांक

14/09/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद- भरतपुर।

**विषय:-** कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समितिय/जिला परिषद में कार्यरत निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण निर्देशित स्थान पर कर अवगत करावे।

क्रम सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री प्रिया सैनी	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति नदबई (भरतपुर)	ग्राम पंचायत गांवडी, पंचायत समिति सेवर (भरतपुर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानांतरण/पदस्थापन सही नाम एवं पदनाम से है।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानांतरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक की परीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक का स्थानांतरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
- उक्त सूची में यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवगठित पंचायत समिति में करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु नवगठित पंचायत समिति के प्रधान/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न नहीं हुए है तो उन पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे।


  
(विजयपाल सिंह II)

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव(I)

**प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्राविपंरावि।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदया, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।

3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(एलटी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय।
4. निजी सचिव/सहायक, निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), प्रशिक्षण शाखा पंचायती राज विभाग।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संबंधित
7. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव(I)